पत्रांक-बाढ़(मो0)सिं0-66/2015-अंश-II

**बिहार सरकार**

**जल संसाधन विभाग**

प्रेषक,

ई0 ब्रजेश मोहन,
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय
जल संसाधन विभाग, पटना ।

फैक्स/ ई-मेल

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण,
जल संसाधन विभाग, पटना ।

पटना, दिनांक

**विषयः-** ***भोजपुर जिलान्तर्गत सोन नदी के बालू घाट BHOJ SON-30A से बालू लदे वाहनों के परिचालन के लिए अस्थाई संरचना निर्माण हेतु अनुमति /आनापत्ति के संबंध में ।***

**प्रसंगः-** ***आपका पत्रांक-741 दिनांक-24.02.2026***

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि परिक्षेत्राधीन बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, आरा अंतर्गत भोजपुर जिला के सहार प्रखंड अंतर्गत पेडरचक ग्राम में सोन नदी के बालू घाट BHOJ SON-30A से बालू लदे वाहनों के परिचालन हेतु सोन नदी में 02 अदद अस्थाई लौह पुल निर्माण हेतु वस्तुस्थिति की समीक्षोपरान्त स्थल की स्थिति के अनुरूप निम्नांकित शर्तो के साथ विशेष परिस्थिति में, जिससे कि नदी के जलप्रवाह/तटबंधों/संरचनाओं/Morphological behavior पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र (दिनांक-31.05.2026 तक के लिए) निर्गत करने हेतु मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, पटना को प्राधिकृत किया जाता है:-

1. बालू परिवहन हेतु प्रयुक्त वाहनों को तिरपाल से ढ़का हुआ होना चाहिए, ताकि बालू के कारण वायु प्रदूषण न हो । इस रास्ते पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाना आवश्यक होगा, ताकि वाहनों के परिचालन से उड़ने वाले बालू को नियंत्रित रखा जा सके । उक्त कार्यो को संबंधित विभाग द्वारा स्वयं के व्यय पर कराना होगा ।
2. नदी भाग एवं कंट्री भाग में वाहनों के नदी के तट पर चढ़ने एवं उतरने हेतु दोनों तरफ रैम्प का निर्माण करना आवश्यक होगा, जो संबंधित विभाग द्वारा स्वयं के व्यय पर किया जायेगा ।
3. रैम्प एवं नदी तट के किनारे को क्षरण से बचाने के लिए नियमित रूप से संपोषण की जिम्मेवारी संबंधित विभाग की होगी ।
4. बाढ़ अवधि में वाहनों का परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा ।
5. नदी तट/भाग भाग पर जल संसाधन विभाग का स्वामित्व प्रभावित नहीं होगा ।
6. संरचना निर्माण कार्य की व्यवस्था बिल्कुल अस्थायी होगी ।
7. अस्थायी संरचना के निर्माण से जल मार्ग में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं किया जाय एवं इसे अविरल रखा जाय । इसके लिए नियमित रूप से साफ-सफाई की व्यवस्था कराने की जिम्मेवारी संबंधित विभाग की होगी ।

8. अस्थायी संरचना के निर्माण से जल मार्ग में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं किया जाय एवं इसे अविरल रखा जाय । इसके लिए नियमित रूप से साफ-सफाई की व्यवस्था कराने की जिम्मेवारी संबंधित विभाग की होगी ।
9. अस्थाई संरचना निजी प्रयोग के लिए है । इसलिए इसकी स्थायित्व एवं मजबूती की संम्पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित विभाग की होगी ।
10. किसी भी अप्रिय घटना के लिए संबंधित विभाग जिम्मेवार होगा ।
11. आपात परिस्थिति में विभागीय पदाधिकारियों के निदेश पर तत्काल अस्थायी पुल को संबंधित विभाग द्वारा हटाना होगा ।
12. बाढ़ अवधि में बालू परिवहन पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा । बाढ़ अवधि के पूर्व इन संरचनाओं को संबंधित विभाग के द्वारा स्वयं के व्यय पर नदी के बेड से हटाया जाना बाध्यकारी होगा।
13. संरचना निर्माण के दौरान पूर्व से निर्मित संरचनाओं आदि को किसी प्रकार की क्षति न हो । क्षति होने पर इसकी मरम्मति की सारी जबावदेही संबंधित विभाग की होगी एवं संबंधित विभाग अपने व्यय से क्षतिग्रस्त भाग का सुदृढ़ीकरण/मरम्मति करने के लिए बाध्य होगा ।
14. नदी से बालू की कटाई जल संसाधन विभाग के अभियंताओं द्वारा निर्धारित तल लेवल (1.50m) से अधिक गहराई से नहीं किया जाय तथा एन0एस0एल0 एवं किनारों को किसी भी हाल में डिस्टर्ब नहीं किया जाय ।
15. संबंधित विभाग को इस अस्थाई संरचना के दोनो ओर एक-एक बोर्ड लगाना होगा, जिसपर बड़े अक्षरों में लिखा होना चाहिए कि "अस्थायी संरचना, आम लोगों के लिए वर्जित है" ।
16. जल संसाधन विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर दिये गये दिशा-निर्देश का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा ।
17. नदी के Morphology को अक्षुण्ण रखा जाय ।
18. कार्य समाप्ति के बाद स्थल पर बचे सभी प्रकार के अवशेष सामग्रियों को पूर्ण रूप से हटा लिया जाय ।
19. विभाग को आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय बिना कारण बताए विषयांकित कार्य हेतु निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।
20. जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1/पी0एम0सी0/विविध/161/2023-205 दिनांक-20.03.2023 में निहित निदेश के अनुपालन निमित्त CBuD APP (Call before U dig) का उपयोग करना अनिवार्य होगा ।
21. उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन नहीं करने पर निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द करते हुए विभाग द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी ।
22. यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिनांक-31.05.2026 तक प्रभावी रहेगा ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक:- बाढ़(मो0)सिं0-66/2015-अंश-II 939 दिनांक:- 19-03-2026

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित ।

(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय